न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (11)

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 468-चार/1998 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-12-1997 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक स्वमेव निगरानी 469/1995-96.

---

1. धनश्याम पिता भेरूलाल
2. मदनलाल पिता भेरूलाल
3. छगनलाल पिता भेरूलाल
4. हुकुमचंद पिता भेरूलाल

निवासीगण ग्राम बावलिया खुर्द, तहसील इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. अपर आयुक्त
   इंदौर संभाग, इंदौर
2. आनंदराव पिता किशनराव (मृत)
   द्वारा वारिसान-
   ज्ञानेश्वर पिता स्व. आनंदराव
   निवासी ग्राम बावलिया
   तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री व्ही.ओ. जोशी, अभिभाषक, आवेदक

श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 29-12-1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 घनश्यामसिंह द्वारा नायब तहसीलदार इंदौर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बावलिया खुर्द तहसील इंदौर स्थित सर्वे नंबर 130 रकबा 1.704 हेक्टेयर आवेदकगण के नाम पर अंकित है । प्रश्नाधीन भूमि पर उनका पिछले 5 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है एवं उनके द्वारा भूमि का लगान भी अदा किया जा रहा है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक क्रमांक 1 को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुका है । अतः उसका नामांतरण किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/अ-6/1991-1992 दर्ज कर दिनांक 28-9-92 को आदेश पारित कर आवेदक क्रमांक 1 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेखों में आवेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश में अनियमितता पाये जाने पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इन्दौर द्वारा तहसील न्यायालय का उक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक स्वमेव निगरानी 469/1995-96 दर्ज कर दिनांक 29-12-1997 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि मूल भूमि स्वामी के नाम अंकित करने का आदेश दिया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. तहसील न्यायालय के आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 20 वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया एवं पारित आदेश को प्रकरण में बगैर कोई योग्य विचारण कर अपास्त कर दिया गया । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को किसी भी पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई थी ।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि, अधिनियम की धारा 190 के अधीन भूमि स्वामी स्वत्वों का स्वभाविक रूप से अर्जन होता है, उक्त तथ्य की घोर उपेक्षा करते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबधित प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लिया गया जो कि सर्वथा अनुपयुक्त है । इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण को लिए जाने विषयक गाईड लाईन

निर्धारित की गई है । स्वमेव निगरानी केवल युक्तियुक्त समय सीमा में ही प्रयुक्त की जा सकती है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त समय को एक वर्ष की अवधि माना गया है । इस तर्क के समर्थन में 1969 ए.आई.आर 1297 एस.सी., 1990 ए.आई.आर. 268 एम.पी., 1990 एम.पी.एल.जे. 353, 1990 रा.नि. 77(फुल बैंच), 2000 रा.नि. 161, 2001 रा.नि. 402, 2001(3) एम.पी.एल.जे. 389, 1994 एम.पी.एल.जे. 378, 1999(1) एम.पी.एल.जे. 178 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत है ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायद्दष्टांत की अवहेलना करते 20 वर्ष पश्चात विवादित आदेश पारित किया है, जो अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा अवैधानिक रूप से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक पक्ष का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसमें अनियमितता पाये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का उक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेकदगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर स्पष्ट आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक है और ऐसे अवैधानिक आदेश को किसी भी समय स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त किया जा सकता है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त होना सिद्ध नहीं किया गया है । ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक क्रमांक 1 द्वारा मुद्रांक शुल्क से बचने के उद्देश्य से मृतक अनावेदक क्रमांक 2 से दुरभिसंधि कर, तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण की प्रक्रिया एवं प्रावधानों का बिना पालन किये अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण स्वीकृत करने में जहां विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, वही शासन को भी राजस्व की हानि हुई है । इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1991 आर.एन. 114 में प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के आलोक में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है । जहां तक स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही विलम्ब से किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भी अपर आयुक्त द्वारा 1992 आर.एन. 230 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय

सिद्धान्त के प्रकाश में आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के अवैधानिक, अकृत एवं शून्य आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त कर, तहसील न्यायालय के नामान्तरण आदेश के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में हुए समस्त अन्तरण एवं नामान्तरण भी अकृत एवं शून्य घोषित करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-12-97 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर